अपीलीय आपराधिक

न्यायमूर्ति गोपाल सिंह और ए. डी. कौशल के समक्ष

अजीत सिंह–अपीलार्थी

बनाम

वेद राज–प्रतिवादी

आपराधिक अपील **नं.** 494 of 1967

नवंबर 23, 1970.

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का V) - धारा 259 - वारंट मामले के रूप में विचारित किए जा रहे संज्ञेय अपराध की निजी शिकायत - आरोपी के खिलाफ आरोप तय - ऐसी शिकायत - क्या शिकायतकर्ता की उपस्थिति के चूक पर खारिज किया जा सकता है।

अभिनिर्धारितकिया कि, यदि किसी संज्ञेय अपराध की निजी शिकायत पर वारंट मामले के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद इसके मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए बाध्य है और इस तथ्य के बावजूद कि शिकायतकर्ता खुद अनुपस्थित है, मुकदमे को समाप्त करना होगा। आरोप तय होने के बाद, शिकायतकर्ता केवल गवाह बन जाता है। गवाह की ओर से पेश होने में विफलता का परिणाम शिकायत को खारिज करना और आरोपी को बरी करना नहीं हो सकता है। (अनुच्छेद 5)

सीआरपीसी की धारा 417 (3) के तहत अपील।श्री रामजी लाल अनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, फतेहाबाद की अदालत के दिनांक 17 दिसंबर, 1966 के आदेश के खिलाफ, अभियोजन न चलाने के लिए शिकायत को खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी को बरी कर दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एम. के. महाजन।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता डीडी जैन के वकील अछरा सिंह।

निर्णय

न्यायमूर्ति गोपाल सिंह–

1. अपीलकर्ता द्वारा 1 मार्च, 1965 को दायर अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार, उसे पुलिस स्टेशन, रतिया में प्रतिवादी द्वारा पीटा गया और प्रताड़ित किया गया, प्रतिवादी ने उसका एक पैर खींच लिया और एक कांस्टेबल ने दूसरे को खींच लिया, जबकि उसे एक खाट पर बैठाया गया था और उसकी जांघों की त्वचा की सतह को गर्म लोहे की छड़ से छुआ गया था। प्रतिवादी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को शिकायत करना। अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा पुलिस स्टेशन में गलत तरीके से कैद किया गया था। अपीलकर्ता के भाई बख्तावर सिंह के आवेदन पर अपीलकर्ता का परीक्षण 8 फरवरी, 1965 को डॉ. सुदर्शन कुमार भास्कर, चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल, हिसार द्वारा किया गया था। उसके अंगों और पीठ पर 11 घाव पाए गए थे। नौ चोटों को डॉक्टर द्वारा खरोंच के रूप में वर्णित किया गया था। जलने के निशान के रूप में दो चोटें थीं, एक दाईं जांघ पर और दूसरी बाईं जांघ पर। 3 मार्च, 1965 के आदेश द्वारा, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की जांच और मेडिको-लीगल रिपोर्ट पर पाया कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। उन्होंने प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी को समन भेजने के कई प्रयास किए जाने के बाद उसे समन भेजा गया। प्रतिवादी दलेल सिंह, घनन सिंह, सरवन सिंह और वरयाम सिंह के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता और चार अन्य गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए थे। डॉ. सुदर्शन कुमार भास्कर भी अपीलकर्ता के व्यक्ति पर पाए गए ग्यारह चोटों के अस्तित्व और प्रकृति को साबित करने के लिए दिखाई दिए, जब 8 फरवरी, 1965 को उनकी जांच की गई। प्रतिवादी को 2 दिसंबर, 1966 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 के तहत अपीलकर्ता को धारदार हथियारों और गर्म पदार्थ से चोट पहुंचाने के अपराधों के लिए आरोपित किया गया था। कई बार के स्थगन के बाद यह मामला 17 दिसंबर, 1966 को सुनवाई के लिए आया। उस तारीख को, न तो शिकायतकर्ता और न ही उसका वकील अदालत में उपस्थित था। प्रतिवादी अपने वकील के साथ उपस्थित था। ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा मुकदमा न चलाने के लिए शिकायत को खारिज कर दिया और प्रतिवादी को बरी कर दिया।

2. वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 की उप-धारा (3) के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने पर उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता की ओर से पेश श्री एम. के. महाजन ने दलील दी है कि वारंट मामले के रूप में मुकदमे में चलाए गए संज्ञेय अपराध के लिए आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने के परिणामस्वरूप मुकदमा न चलाने के कारण ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है।

3. वर्तमान मामला अपीलकर्ता द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXI के तहत वारंट मामले के रूप में इसका परीक्षण किया जा रहा था, जिसका शीर्षक "मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई" था। जब शिकायतकर्ता उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत का निपटान करने की शक्ति उस अध्याय में होने वाली धारा 259 में प्रदान की गई है। यह खंड निम्नानुसार चलता है:-

> "जब शिकायत पर कार्यवाही शुरू की गई है, और मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित किसी भी दिन शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, और अपराध कानूनी रूप से संयोजित हो सकता है, या संज्ञेय अपराध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से, यहां निहित किसी भी बात के बावजूद, आरोप तय होने से पहले किसी भी समय, आरोपी को आरोपमुक्त कर सकता है।."

4. इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्ति को आरोपमुक्त करने की शक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

   1. कार्यवाही किसी शिकायत पर शुरू की गई होगी।
   2. शिकायतकर्ता उपस्थित होने में विफल रहा है।
   3. अपराध, जिससे कार्यवाही संबंधित है, कानूनी रूप से संयोजित किया जा सकता है या पुलिस द्वारा संज्ञेय नहीं है।
   4. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किए जाने से पहले आरोपमुक्त करने का आदेश पारित करने का चरण उत्पन्न होना चाहिए।

5. यह धारा लागू होने के लिए, सभी चार शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में,

केवल शर्तें संख्या (i) और (ii) को पूरा किया गया है क्योंकि कार्यवाही, जिसमें आदेश दिया गया है, अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न हुई है और शिकायतकर्ता उक्त आदेश की तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहा। हालांकि, ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के लिए अन्य दो शर्तें वर्तमान मामले में आवश्यक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 के तहत दो अपराध शमनीय हैं, पहला संबंधित पक्षों के कहने पर और दूसरा अदालत की सहमति से पार्टियों के इशारे पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अपराध, जिसके साथ प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था, पुलिस द्वारा संज्ञेय है। माना कि इस मामले को वारंट केस के तौर पर चलाया जा रहा था। जिस अपराध के साथ प्रतिवादी पर संज्ञेय अपराध होने के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसके विकल्प में तीसरी शर्त को पूरा नहीं किया गया है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने के कारण आरोप तय होने से पहले मजिस्ट्रेट को आरोपी प्रतिवादी को आरोपमुक्त करने का अधिकार दिए जाने की चौथी शर्त बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज करने और प्रतिवादी को बरी करने का आदेश पारित करते समय धारा के उक्त दो अवयवों को ध्यान में रखने की अनदेखी की है, जो उन्हें आदेश देने से मना करते हैं, जो उन्होंने किया था। मामला संज्ञेय अपराध और वारंट का मामला होने के कारण, मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद इसकी सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य थे और इस तथ्य के बावजूद कि शिकायतकर्ता खुद अनुपस्थित था, मुकदमे को समाप्त करना था। आरोप तय होने के बाद, शिकायतकर्ता केवल एक गवाह बन गया। ट्रायल मजिस्ट्रेट को न्याय के हित में उसे तलब करने का प्रयास करना चाहिए था या यदि वह सेवा स्वीकार करने से बचता या बचता हुआ पाया जाता, तो उसे गवाह के रूप में अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया जारी करनी चाहिए थी। आरोप तय होने और शिकायतकर्ता के पेश होने में विफल रहने के बाद, मामले को इस तरह से माना जाना चाहिए जैसे कि कोई गवाह पेश होने में विफल रहा है। गवाह की ओर से पेश होने में इस तरह की विफलता का परिणाम शिकायत को खारिज करना और आरोपी को बरी करना नहीं हो सकता है। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के अदालत में पेश होने में विफल रहने के आधार पर

प्रतिवादी को बरी करके अवैधता की है। संहिता की धारा 259 में ऐसी प्रक्रिया पर विचार नहीं किया गया है।

6. धारा 259, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के दायरे और प्रभाव पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा जय नारायण बनाम भगवाना और अन्य[1] में विचार किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह और कोशल शामिल थे। वह मामला भी एक निजी शिकायत का मामला था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 259 की प्रयोज्यता का प्रश्न आरोप तय किए जाने के बाद वारंट मामले के रूप में मामले की सुनवाई के दौरान उठा। यह निम्नानुसार देखा गया था -

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 यह स्पष्ट करती है कि वारंट मामले से संबंधित शिकायत के मामले में, शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति आरोप तय होने के बाद आरोपी को बरी करने में अपने आप समाप्त नहीं हो सकती है और उस चरण तक पहुंचने से पहले ही आरोपी को केवल तभी आरोपमुक्त किया जा सकता है जब शिकायत की गई अपराध कानूनी रूप से संयोजित हो या संज्ञेय अपराध न हो। यह धारा समन मामले में उत्पन्न होने वाली इसी तरह की स्थिति के लिए प्रदान की गई व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण बदलाव करती है, जिसे संहिता की धारा 247 द्वारा निपटाया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को उस स्थिति में शिकायत को खारिज करना होगा, जब तक कि वह इसे किसी अन्य तारीख तक स्थगित करना उचित न समझे या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त न करे। इस प्रकार संहिता वारंट मामलों के परीक्षण को बहुत अधिक महत्व देती है, खासकर जब वे संज्ञेय और गैर-कंपाउंडेबल मामलों को कवर करते हैं, और यह अच्छे कारणों के लिए है। वारंट मामलों द्वारा कवर किए गए अपराध उन अपराधों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर प्रकार के होते हैं जिन पर समन मामलों में मुकदमा चलाया जा सकता है और समाज को, इस तरह, पहले के परीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखने वाला माना जाता है, जबकि बाद वाले को व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि वारंट मामले में आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाए जाने के बाद, धारा 259 शिकायतकर्ता

[1] 1966 के सीआरपीसी नंबर 680 पर 20 नवंबर 1969 को फैसला सुनाया गया।

की अनुपस्थिति के आधार पर उसे बरी करने का प्रावधान नहीं करती है, जिसका दर्जा, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, आरोप के बाद केवल एक गवाह के रूप में कम हो जाता है।

7. पूर्वगामी कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है, प्रतिवादी को बरी करने को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है।

न्यायमूर्ति ए. डी. कौशल–मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा